

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

परशुराम धानका

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

24.08.2022

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

85/2017/प्रा.पत्र/2017

24.11.2017

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1-एफ.बी.ओ. श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता उम्र 35 साल जाति महाजन निवासी बस स्टैण्ड ककोड तह. उनियारा जिला टोंक मैसर्स कृष्णा विनोद ट्रेडर्स बस स्टैण्ड ककोड तह. उनियारा जिला टोंक

2-मैसर्स कृष्णा विनोद ट्रेडर्स बस स्टैण्ड ककोड तह. उनियारा जिला टोंक

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार उप.।

2-अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:--निर्णय--:

दिनांक 24.08.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.08.2017 को समय 04:30 पीएम पर मैसर्स कृष्णा विनोद ट्रेडर्स बस स्टैण्ड ककोड तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विनोद कुमार गुप्ता ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में प्लास्टिक के एक कट्टे में 500-500 ग्राम पैक के लगभग 70 पैकेट पैकड अवस्था में सूजी (सियाराम ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक अनुपस्थित थी, रखी हुई थी, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री विनोद कुमार गुप्ता को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ. श्री विनोद कुमार गुप्ता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह सूजी (सियाराम ब्राण्ड) वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500-500 ग्राम पैक के चार पैकेट रखी है जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।



1956

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सूजी (सियाराम ब्राण्ड) के 4 पैकेट प्रत्येक 500-500 ग्राम पैक को एक-एक पैकेट के बराबर-बराबर चार भाग तैयार कर एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1714 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलिफ नं. आई-1714 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता मैसर्स कृष्णा विनोद ट्रेडर्स बस स्टैण्ड ककोड तह. उनियारा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा पत्र प्रेषित कर एवं व्यक्तिशः सम्पर्क कर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा गया परन्तु कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/3929 दिनांक 24.08.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./547/एक्ट /2017/547 दिनांक 16.08.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया सूजी (सियाराम ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 11.01.2018 को श्री पवित्र मिश्रा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए। अतः परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस सूजी (सियाराम ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।



हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सूजी (सियाराम ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 24.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(परशुराम धानका)  
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0